

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 29.10.2026

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता 01. सलीम जावेद पुत्र मुन्नु निवासी कांसीराम आवास थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री धर्मनाथ यादव, का0 अनुराग दूबे।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता 01. मेराजुलहक पुत्र सिराजुलहक निवासी बुधईया बाजार पूरब मोहल्ला लेडुआ महुआ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री राममिलन साहनी, का0 लवकेश यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 12 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 186 वाहनों से 1,88,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 29.10.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 186 वाहनों से 1,88,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 29.10.2026

**पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म करने के मामले में
वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री संदीप कुमार मीना** के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सुशील कुमार सिंह** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल **श्री सर्व दवन सिंह** के निकट पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष बखिरा **श्री दिलीप कुमार सिंह** की गठित टीम द्वारा थाना बखिरा पर पंजीकृत द्वारा मु0अ0सं0 399/2026 धारा 64(1) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त अशोक पुत्र रामचन्दर उर्फ चन्नर निवासी ग्राम बरडाड़ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 29.10.2026 को पड़रिया पुल के पास से नियमानुसार गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 28.10.2026 को वादिनी द्वारा थाना बखिरा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया। थाना बखिरा पुलिस द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अशोक को नियमानुसार आज दिनांक 29.10.2026 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष श्री दिलीप कुमार सिंह, हे0का0 अमित कुमार सिंह, का0 अनुराग सिंह।

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक – 29.10.2026

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01अदद लोहे का कड़ा बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री संदीप कुमार मीना** के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सुशील कुमार सिंह** के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी मेंहदावल **श्री सर्व दवन सिंह** के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बेलहरकला **श्री सर्वेश कुमार** की गठित टीम द्वारा थाना बेलहरकला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 309/2026 धारा 109(1), 352 बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त नाम पता शिवम उर्फ गड़टेढ़ा पुत्र राधेश्याम राजभर निवासी बनौली थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01अदद लोहे का कड़ा बरामद करते हुए आज दिनांक 29.10.2026 को सरहरा पुलिया के पास से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का विवरण- वादी श्री मनोज राजभर पुत्र स्व0 जगदीश निवासी बनौली थाना बेलहरकला जनपद संत कबीर नगर द्वारा दिनांक 28.10.2026 को थाना बेलहरकला पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी के चचेरे भाई गोविन्द पुत्र ज्ञानदास को गाली गलौज करते हुए हाथ में पहनने वाले लोहे के कड़े से मारा पीटा गया, जिससे चचेरे भाई गोविन्द का सिर फट गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बेलहरकला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए उपरोक्त वांछित अभियुक्त को आज दिनांक 29.10.2026 को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री हरिनाथ मिश्र, हे0का0 बृजेश कुमार पाण्डेय, का0 रितेश मिश्रा, का0 आनन्द तिवारी।